

राजस्थान सरकार
कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)

आर्थिक अन्तर्जातीय विवाह हेतु आवेदन पत्र

(नियम 3 के अनुसार)

आवेदिका
का नवीनतम
फोटो

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, द्वारा अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने संबंध आवेदन पत्र जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो।

सेवामें,

1.	जिला कलेक्टर, नागौर	
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर	
3	जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर	
	हम पुत्र माता-पिता/संरक्षक का पूर्ण पता) एवं पुत्री माता-पिता/संरक्षक का पूर्ण पता) अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करते हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है।	
1.	नाम एवं वर्तमान पूर्ण पता	
	(अ)	पति
	(ब)	पत्नी
2.	विवाह पूर्व का पूर्ण पता	
	(अ)	पति
	(ब)	पत्नी
3.	विवाह पूर्व व्यवसाय और मासिक आय	
	(अ)	पति
	(ब)	पत्नी
4.	आवेदन व्यवसाय एवं मासिक आय	
	(अ)	पति
	(ब)	पत्नी

5.	विवाह का पूर्ण विवरण (अ) पंजीकृत विवाह के दस्तावेज क्रमांक एवं दिनांक तथा पंजीकृत कार्यालय का नाम (ब) विवाह की वैद्यता का सत्यापन एवं गवाह का विवरण यदि कोई हो तो
6.	यदि युगल/दम्पति विवाह के पश्चात किसी भी समय पृथक रूप से रहा हो। (अ) यदि हाँ तो पृथक से रहने का समय..... (ब) पृथक रहने का कारण
7.	हम दोनों राजस्थान के मूल निवासी है अथवा हम में से एक (नाम का विशिष्टी) राजस्थान का मूल निवासी है और हमारे माता/पिता गत 5 वर्षों से राजस्थान में निवासरत है। (अर्न्तजार्तीय विवाह करने वाले अन्य राज्य के व्यक्ति के माता-पिता) हम दोनों शपथ पूर्वक घोषणा करते है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है।

संलग्न :-

1. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
3. आवेदक का मूल निवास का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

हस्ताक्षर

पति

पत्नी.....

स्थान.....

दिनांक.....

जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणित

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों/विवरणों की जांच उपरान्त सत्य पाया गया।

जिला अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग,
नागौर